प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

(नियम 213)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प कोर्ट– सिरोही
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 18/2018

अपीलांट

1. हंसाराम पुत्र श्री देवाजी जाति घांची उम्र 52 वर्ष पेशा खेती खेती व प्राईवेट नौकरी निवासी मोहब्बतनगर तहसील व जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्रीमती लुगी बाई पत्नी श्री भीमाराम वेराणा जाति देवासी निवासी मोहब्बतनगर, तहसील व जिला सिरोही।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ऋषि माथुर, विद्वान अभिभाषक रेस्पो. संख्या 01 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो संख्या 02 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11/10/2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2017 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1805, 2790/1804 कुल खसरा 2 कुल रकबा 01.0700 हैक्टेयर में आने जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1765 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश उक्त प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट)संख्या 02 की ओर से जबाव दिनांक 18.04.2017 को प्रस्तुत किया गया था तथा अप्रार्थी संख्या 1 (अपीलांट) का बिना जबाव लिये ही अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 05.09.2017 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिनांक 30.10.2017 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि में से बिना कोई विधि सम्मत जॉच प्राप्त किये व कानुन को नजरन्दाज कर उक्त निर्णय दिनांक 30.10.2017 को पारित करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में विधिक त्रुटि की है। साथ ही अपीलांट के खातेदारी की राजस्व आराजी जिसे खसरा संख्या 910 किस्म गैर मुमकिन रास्ते की लगती बताई गई है जिसका अवलोकन करने से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि उक्त खसरा 800 फीट लम्बा है तथा उसकी चौडाई बहुत ही कम है तथा उक्त कम चौडाई मे से भी रास्ता दे दिया जाता है तो अपीलांट के उक्त खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने में अपीलांट को बाधा उत्पन्न होगी तथा वह उसका इच्छानुसार उपयोग उपभोग नही कर पायेगा रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ जो नक्शा पेश किया है उसमें अपीलांट के खसरा संख्या 1765 के दोनों तरफ अर्थात पूर्व व पश्चिम में अन्य खातेदारान की कृषि भुमि खसरा संख्या 1766 व 1764 की आई हुई है जिसमें से भी रेस्पोडेन्ट नियमानुसार रास्ता प्राप्त कर सकता है इसके अलावा भी रेस्पोडेन्ट के आने जाने हेतु रास्ते के कई विकल्प है लेकिन इन सभी को नजरन्दाज कर रेस्पोडेन्ट ने गलत रूप से अपीलांट के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी सभी पहलुओं पर जॉच किये बिना तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जबाववं रिपोर्ट का सही तरीके से अवलोकन बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही दौरान बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण मे नियत प्रथम तारिख पेशी दिनांक 10.04.2017 का नोटिस अपीलांट के नाम जारी किया उस पर अपीलांट के अहमदाबाद में नौकरी करने का उल्लेख के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसके पश्चात दिनांक 22.05.2017 राजस्व लोक अदालत कैम्प का नौटिस अपीलांट के नाम जारी किया जिस पर भी अपीलांट के बहार होने व उसके पुत्र को नोटिस देने का उल्लेख करते हुये रिपोर्ट प्राप्त हुई उक्त लोक अदालत का नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट की ओरे से दिनांक 22.05.2017 को रेस्पोडेन्ट को रास्ता नही देने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट को केम्प प्रभारी द्वारा यह आश्वासन दिया कि हम केम्प मे रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया लुगीबाई को रास्ता नही देगे तथा उक्त पत्रावली की आगामी पेशी की सूचना आपको दे दी जावेगी। जिस पर अपीलांट निश्चित हो गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.05.2017 केम्प की कोई आदेशिका पत्रावली मे दर्ज नही की न ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाव को पत्रावली में शामिल किया गया। कैम्प के नोटिस अपीलांट को जारी किये इस संबंध में भी पत्रावली के आदेशिका में कोई उल्लेख नही किया उसके पश्चात चार पेशीया गुजर जाने के उपरान्त दिनांक 05.09.2017 को बिना कोई तारीख पेशी की सूचना दिये अपीलांट को लोक अदालत केम्प मौहब्बतनगर के भेजे नोटिस में उसके पुत्र को प्राप्त होने का उल्लेख कर उक्त नोटिस को तामिली का आधार मानकर दिनांक 05.09.2017 को अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाने का आदेश पारित कर अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बगेर दिनांक 30.10.2017 को उक्त निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानुनन व वाक्यातन गलती की है। उक्त के साथ ही वकील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांट ने राजस्थान सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.03.2012 हस्तगत प्रकरण के समर्थन में पेश कर अवगत करवाया कि धारा 251 'ए' मे आज्ञापक है कि आवेदन "कि जांच एवं निपटारा करने के लिए किसी आवेदन के प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा याकिसी अधिकारी जो निरीक्षक, भूमि अभिलेख से अनिम्न रैंक का न हो, से निरीक्षण करवायेगा और प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित करेगा।" एवं DNJ PG. 301 date 25-03-2019 का न्यायिक दृष्टान्त पेश कर हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका फर्द में उक्त कथनो का अभाव होने के कारण जैर अपील आदेश अपास्त किये जाने योग्य होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट की प्रोपर तामिल करवाये बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया हैं जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि, रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1805, 2790/1804 कुल खसरा 2 कुल रकबा 01.0700 हैक्टेयर में आने जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1765 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस पर अपीलांट के पुत्र द्वारा नोटिस प्राप्त करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सिरोही से वादग्रस्त आराजी के संबंध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 में यह स्पष्ट अंकन है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक एवं नजदीकतम है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 महिला पक्षकार है। गरीब महिला पक्षकार होने के कारण श्रीमान से निवेदन है कि रास्ते की अति आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए न्यायिक राहत प्रदान करावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। कि रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1805, 2790/1804 कुल खसरा 2 कुल रकबा 01.0700 हैक्टेयर में आने जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1765 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस पर अपीलांट के पुत्र द्वारा नोटिस प्राप्त करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के संबध में होने वाली समस्त कार्यवाही की जानकारी के बावजूद उपस्थित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सिरोही से वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 में यह स्पष्ट अंकन है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक एवं नजदीकतम है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "bsence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। उक्तानुसार जैर अपील आदेश में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश में हाजा न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सिरोही व तहसीलदार सिरोही को यह निर्देश दिये जाते है कि रेस्पोडेन्ट एक महिला पक्षकार है व रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता तथा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 व नक्शा किश्तवार की प्रति अनुसार पटवारी भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र मोहब्बतनगर, तहसील सिरोही द्वारा प्रस्तुत की गई वह इस निर्णय की अभिन्न अंग रहेगी। उसको उपखण्ड अधिकारी सिरोही व तहसीलदार सिरोही एवं अधिकारिता रखने वाले भू अभिलेख निरीक्षक उक्त मौका रिपोर्ट को संयुक्त रूप से प्रमाणित करे ताकि रिपोर्ट विधि अनुसार पूर्ण रहें। चुकि पक्षकार महिला है जिसे रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होने तथा अनावश्यक मुकदमे बाजी नही बढे तथा गरीब महिला पक्षकार को न्याय प्राप्ति हेतु अनावश्यक न्यायालयो के चक्कर नही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

लगाने पड़े जिससे महिला पक्षकार को मानसिंक पिड़ा एवं आर्थिक नुकसान भी नही हो। इस स्थिति को ध्यान मे रखते हुए उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2017 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/10/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(बृजमोहन नागिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली, कैम्प–कोर्ट सिरोही।
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली